संख्या : 3939 /62-2-2012-2/2(10)2012

प्रेषक,

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2012

विषय :- निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सतही जल संसाधनों के उपयोग हेतु अनुदान पर पम्पसेट देने की योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक उक्त योजना सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड एवं इलाहाबाद जनपद में यमुना पार के पठारी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को पम्पसेट क्रय हेतु रू0 3,000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

2- वर्तमान में पम्पसेट की इकाई लागत में वृद्धि हो जाने के कारण इस अनुमन्य अनुदान में संशोधन आवश्यक हो गया है। इस योजना का कार्यक्षेत्र जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एंव चन्दौली में भी विस्तारित किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बुन्देलखण्ड की भाँति है एवं यहाँ भी किसानों द्वारा सतही जल स्रोतों से सिंचाई की जाती है।

3- उक्त योजना के अन्तर्गत पम्पसेट की इकाई लागत रू0 18,000.00 मानते हुए सामान्य श्रेणी के लघु कृषक को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 4,500.00, सीमान्त कृषक को लागत का 33.33 प्रतिशत अधिकतम रू0 6,000.00 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 9,000.00 का अनुदान अनुमन्य किये जाने तथा उक्त योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली तक किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त योजना में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

क्रमशः 2 पर

5- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

सं0:-3939 (1)/62-2-2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- मण्डलायुक्त/संयुक्त/उप विकास आयुक्त, झाँसी, चित्रकूटधाम, विध्याँचल, वाराणसी एवं इलाहाबाद मण्डल।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, झाँसी,ललितपुर,हमीरपुर,बाँदा,चित्रकूट,महोबा,जालैन,इलाहाबाद,मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र।
8- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
10- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, झाँसी एवं इलाहाबाद।
11- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, झाँसी,ललितपुर,हमीरपुर,बाँदा,चित्रकूट, महोबा,जालैन,इलाहाबाद,मिर्जापुर, वाराणसी एवं सोनभद्र।
12- सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, झाँसी,ललितपुर,हमीरपुर,बाँदा,चित्रकूट, महोबा,जालैन,इलाहाबाद,मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र।
13- उपनिदेशक, साँख्यकिय सेल, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
14- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी,ललितपुर,हमीरपुर,बाँदा,चित्रकूट,महोबा,जालैन, इलाहाबाद,मिर्जापुर,चंदौली एवं सोनभद्र।
15- अधीक्षण अभियंता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
16- अधिशासी अभियंता, आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
17- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।